न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 12/2017

अनवान :–

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर जोन, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

1 श्री रविकान्त पुत्र श्री नन्दलाल गोयल जाति महाजन((विक्रेता मालिक) मैसर्स भावना किराना स्टोर, मरूधर नगर, बीकानेर (राज.) निवासी– पुरानी गिनानी, बीकानेर
2 श्री अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बुलाकीदास अग्रवाल (भागीदार)
मैसर्स अनिल एजेन्सीज, फड़, बाजार, बीकानेर(राज.) निवासी–बागड़ी मोहल्ला, बीकानेर
3 श्रीमती पिंकी अग्रवाल पत्नि श्री सुशील कुमार अग्रवाल (भागीदार)
मैसर्स अनिल एजेन्सीज, फड़, बाजार, बीकानेर(राज.) निवासी–बागड़ी मोहल्ला, बीकानेर
4 मैसर्स अनिल एजेन्सीज, फड़, बाजार, बीकानेर(राज.) (थोक विक्रेता फर्म)
5 श्री राजेश गुंप्ता (प्रोपराईटर) मैसर्स खण्डेलवाल सेल्स कॉर्पोरेशन, दुकान नं. 57–58, सुभाषनगर, कृष्णकृपा 4 के सामने, जयपुर (राजस्थान) निवासी– किरणपथ, मानसरोवर, जयपुर(राजस्थान)
6 श्री किशनगोपाल खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री के.सी. खण्डेलवाल(ऑथराईज सिगनेटरी) मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्रीज इण्डिया, एफ 37 ए रोड़ नं. 2 वी.के.आई. एरिया जयपुर(राजस्थान) निवासी– 66/169 विद्याधर नगर, जयपुर (राजस्थान)
7 श्री अरशद नईम नाजरी(नोमिनी निर्माता फर्म)
मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्रीज इण्डिया, प्लाट नं. 12–15, सेक्टर नं. 7,1 एमटी, मानेसर, गुडगांव (हरियाणा)
8 मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्रीज इण्डिया, प्लाट नं. 12–15, सेक्टर नं. 7,1 एमटी, मानेसर, गुडगांव (हरियाणा) (निर्माता फर्म)

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष	– श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी सं. 1	– श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता
3. अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की ओर से	– श्री विजय पारीक अधिवक्ता
4. अप्रार्थी संख्या 5 व 6	– अनुपस्थित।
5. अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की ओर से	– श्री अरशद नईम नाजरी

–: निर्णय :– दिनांक 26.02.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (सेवानिवृत) श्री मुरारीलाल शर्मा ने दिनांक 20.05.2016 को अप्रार्थीपक्ष श्री रविकान्त पुत्र नन्दलाल गोयल जाति महाजन (विक्रेता मालिक) मैसर्स– भावना किराना स्टोर, मरूधर नगर, बीकानेर के यहां निरीक्षण के दौरान दुकान में रखी 07 (नग) बोतल प्रत्येक 750 मिलीलीटर शरबत(रूहअफजा) आम जनता को विक्रय वास्ते रखा हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त शरबत(रूहअफजा) में से 4 बोतल शरबत(रूहअफजा) नमूना संग्रह हेतु क्रय कर विक्रेता श्री रविकांत द्वारा बताये अनुसार मूल्य 500/– रूपये में नकद भुगतान कर रसीद प्राप्त की। जिस पर श्री मुरारीलाल शर्मा, तत्का. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, विकेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त नमूने भाग के चार लेबल तैयार किये गये जिस पर कोड एवं क्रमांक एबी–743 अंकित कर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

नियमानुसार प्रत्येक लेबल पर विक्रेता, गवाहान एवं श्री मुरारीलाल शर्मा, तल्का. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना बोतल पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना बोतलों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर नियमानुसार हस्ताक्षरयुक्त पेपर रिलप प्रत्येक कोड व क्रमांक एबी 743 गोंद से चिपकाया तथा चपड़ी से सील मोहर किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता, गवाहों एवं स्वयं तल्का.खा.सु.अ. ने हस्ताक्षर कर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य विक्रेता एवं गवाहों ने पढ़कर, सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा ने हस्ताक्षर किये। उक्त सीलबन्द नमूनों में से एक सीलबन्द नमूना मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिपोर्ट LS./1708/Act/ 2016/2708 दिनांक 22.07.2016 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें शरबत(रूहअफजा) मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा शरबत(रूहअफजा) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की ओर से श्री विजय पारीक अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 6 स्वयं एवं अप्रार्थी 8 की ओर से अप्रार्थी संख्या 7 श्री अरशद नईम नाजरी उपस्थित आये एवं जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही की गई।

3. अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने परिवाद के बिन्दुओं को अस्वीकार कर अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि प्रकरण में नमूना वास्ते जांच दिनांक 26.5.16 को खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त हुआ, किन्तु नमूने की जांच रिपोर्ट 22.7.16 को तैयार की गई। जांच रिपोर्ट चौदह दिनों की निर्धारित अवधि में तैयार की जाने के बजाय सतावनवें दिन तैयार की गयी। जांच लेबोरेटरी जहां पर जांच रिपोर्ट तैयार की गयी है, धारा 43(1), फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्डस एक्ट 2006 के प्रावधानों के अनुसार एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त नहीं है। नमूना लेने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुरारीलाल तथा परिवाद प्रस्तुत करने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महमूद अली फूड सेफ्टी रूल्स, 2011 के रूल 2.1.3 के प्रावधानों द्वारा निर्धारित खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शैक्षणिक/अन्य योग्यता नहीं रखते है। अतः वे फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड्स एक्ट, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत नमूना लेने तथा परिवाद प्रस्तुत करने के लिये अयोग्य है। परिवाद में वर्णित कार्यवाहियां मौके पर नहीं की गयी थी। अप्रार्थी संख्या 1 को धमका कर खाली फार्म/कागजों पर उसके दस्तख्त करवाये गये थे तथा अप्रार्थी संख्या 1 को फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डड्स एक्ट 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त किसी लेबोरेटरी से जांच करवाने का कोई विकल्प नहीं दिया गया। अप्रार्थी द्वारा फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्डस् (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) रेगुलेशन्स 2011 की रेगुलेशन 2.2.2.(2)(एफ)(आई) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है। परिवाद में वर्णित शरबत(रूहअफजा) का नमूना मिसब्राण्डेड नहीं है। परिवाद विधि विरूद्ध एंव शून्य होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः परिवाद उतरदाता के विरूद्ध मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

4. अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विधि अनुरूप नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त परिवाद एपीपी से जांच करवाकर अदालत हाजा में प्रस्तुत नहीं किया बल्कि स्वयं अदालत हाजा में गैर कानूनी रूप से परिवाद पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी खासुअ मय स्टॉफ अप्रार्थी संख्या 1 को सैंपलिंग हेतु कोई जानकारी नहीं दी ना ही लिखित/मौखिक नोटिस दिया बल्कि अप्रार्थी को धमकाते हुए अप्रार्थी सं. 1 से शरबत रूह अफजा की पैकिग प्राप्त की और ना ही मूल्य चुकाया। अप्रार्थी व गवाहों के सामने सैंपल को सील मोहर कर चपड़ी नहीं लगायी और ना ही किसी प्रकार को कोई केमिकल डाला गया था। लेबल फार्म किस दिनांक को व कहा से जारी की गई का कोई अंकन नहीं है। दिनांक 20.5.16 को जांच हेतु नमूना लिया गया था जिसे प्रयोगशाला में किस दिनांक में जमा करवाया गया कोई उल्लेख परिवाद में नहीं है और ना ही सैम्पल जमा नहीं होने तक किस स्थिति में व किसकी कस्टडी में रहा का कोई उल्लेख नहीं है। अप्रार्थी को जांच रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध करायी और ना ही जांच के संबंध में कोई पत्र प्रेषित किया। जिससे अप्रार्थी पुनः जांच के अधिकारों का हनन किया गया है। मात्र खानापूर्ति करने के लिए पुनः जांच हेतु रजिस्टडर्ड पत्र केवल अप्रार्थी संख्या 1 के यहां भेजना बताया गया है किस पर तामील हुआ स्पष्ट उल्लेख नहीं है। फूड एनालाईसिंस की रिपोर्ट परिवाद के साथ प्रस्तुत की गयी है उक्त पदार्थ मिसब्राण्ड होना पाया गया है। रिपोर्ट में किस प्रकार मिसब्राण्ड पाया गया है का उल्लेख नहीं है। एफएसएस एक्ट 2006 सपठित नियम 2011 के प्रावधानों की पूर्ण पालना किए बिना ऑफिस में बैठक सैपलिंग की समस्त कार्यवाही की एवं दस्तावेज तैयार किए है। सैम्पल प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनुसार मिलावटी नहीं पाया गया है और ना ही किसी प्रकार से जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक होना पाया गया है। केवल मिसब्राण्ड होना बताया गया है। जिस सैम्पल लिया गया है वह अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 ने अप्रार्थी संख्या 8 से अप्रार्थी संख्या 5 ता 7 के माध्यम से सिल्ड पैक अवस्था में विक्रय किया गया था। इसलिए उक्त खाद्य पदार्थ की मानकता व पैकेजिंग के संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का कोई दायित्व नहीं बनता है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विधि विरूद्ध एवं आधा अधूरा परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। खारिज फरमाया जाकर प्रार्थी को दोषमुक्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

5. अप्रार्थी संख्या 6 का जवाब है कि उक्त माल मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्रीज मानेसर (गुडगांव) अप्रार्थी संख्या 8 से मंगवाया गया था सामान सील पैक कार्टन में ही सप्लाई किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 द्वारा दिया हुआ जवाब ही अप्रार्थी संख्या 6 का जवाब माना जावे।

6. अप्रार्थी संख्या 7 ने जवाब पेश कर कथन किया कि वह हमदर्द लेबोरेट्री गुड़गांव में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत है और इस नोटिस का जवाब देने के लिए अधिकृत है। हमारी फर्म रूहहफजा शर्बत तैयार करती है। जिस लेबल पर शर्बत में सम्मिलित तत्वों को दिखाया गया है। ऐसे तत्व शब्द चित्र या ग्राफिक के रूप में हो सकती है। हमारे द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट 22.7.2016 को प्राप्त हुई है व 57 दिन बाद जांच हुई है जबकि नियमानुसार 14 दिन में रिपोर्ट प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही समाप्त करने का निवेदन किया है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

7. प्रार्थी की ओर से श्री महमूद अली, सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में तत्का. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से शरबत(रूहअफजा) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Sharbat(Rooh Afza) bearing Code No. and Sr. No. AB-743 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravention of Regulation 2.2.2(2) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां शरबत(रूहअफजा) मिसब्राण्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

8. अप्रार्थी अधिवक्ता के जवाब में प्रस्तुत कथनों को दौहराते हुए प्रकरण को समाप्त करने का निवेदन किया जबकि आपत्ति/जवाब का खण्डन करते हुवे प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभिकथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी FSSAI की धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार नोटिफिकेशन की अधिसूचना के अन्तर्गत निर्धारित अहर्ता पूर्ण करते है तथा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन के समस्त कार्य क्षैत्र के लिए अधिसूचित एवं अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी थे, जो बीकानेर के अधीन थे। जांच की प्रयोगशाला FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त है एवं जांच के लिए अधिकृत है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से शरबत(रूहअफजा) का सैम्पल विधिक प्रक्रियान्तर्गत विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष लिया गया तथा सील्ड पैक कर उक्त एक नमूना भाग की प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट में शरबत(रूहअफजा) मिसब्राण्ड पाया गया। अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं उपनिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर के पत्रांक 4104–05 दिनांक 22.8.16 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के तहत विक्रेता को रजिस्टर्ड एडी द्वारा पुनः जांच हेतु भिजवाया गया लेकिन विक्रेता द्वारा पुनः जांच की अपील नहीं की गई। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति/जवाब को खारिज करते हुए मिसब्राण्ड शरबत(रूहअफजा) विक्रय/वितरण एवं विनिर्माण करने के लिए एफएसएसए के प्रावधानों के अनुसार इनके विरूद्ध सख्त जुर्माने की कार्यवाही की जावे।

9. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाई गई शरबत(रूहअफजा) की सैम्पलिंग रिर्पोट में शरबत(रूहअफजा) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) पाया गया है। मिथ्या छाप के प्रकरण में सेम्पल व सेम्पल की रिपोर्ट के विलम्ब के प्रश्न का कोई महत्व नहीं होकर इस प्रकरण में पैंकेजिक एण्ड लेबलिंग रेगूलेशन 2011 के प्रावधानों के विपरीत अप्रार्थी द्वारा शरबत की बोतल पर लगाये गये लेबल पर अंकित चित्रों से उत्पन्न होने वाले भ्रम की स्थिति से मिथ्या छाप होना साबित होता है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक L.S./1708/Act/2016/2708 दिनांक 22.07.2016 की रिर्पोट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Sharbat(Rooh Afza) bearing Code No. and Sr.

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

No. AB-743 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act, 2006 is it Contravention of Regulation 2.2.2(2) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां शरबत(रूहअफजा) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है।

10. इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के द्वारा शरबत(रूहअफजा)(मिथ्या छाप वाली) उत्पादन/वितरण/विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (ii) का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है।

11. अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले शरबत(रूहअफजा) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण के लिये दोषी होने के परिणामस्वरूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत रूपये **40,000/– (अक्षरे रूपये चालीस हजार मात्र)** की शास्ति आरोपित की जाती है।

12. अप्रार्थीगण 1 ता 8 द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली शरबत(रूहअफजा) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) विनिर्माण,वितरण एवं विक्रय किया जिसके लिये वे समान रूप से धारा 26 (2) (ii) में दोषी है। आरोपित शास्ति रूपये 40000/– अक्षरे चालीस हजार रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 को समान रूप से दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 समान रूप से आरोपित राशि रूपये. 40,000/– का $^{1/8}$ शास्ति राशि यानि 5,000/–, 5,000/– रूपये प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 शास्ति राशि अदा करेगें।

13. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

14. निर्णय आज दिनांक 26.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) एव अप्रार्थी संख्या 5 ता 8 को जरिये रजिस्टर्ड पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर (प्रशा) बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner